न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 112/2018(2018/00362)

अनवान : —

1. लालचन्द पुत्र हरफुल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री श्यामसुन्दर शर्मा वकील —प्रार्थी
राजपैरोकार —राज0 सरकार

निर्णय — दिनांक : 01/12/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 197/191 की कुल 2.075 हैक्टेयर, खाता संख्या 210/206 की कुल 3.795 है0, चक 10 एएमएस के खाता संख्या 74/74 की कुल 0.560 है0, खाता संख्या 75/70 की कुल 7.337 है0, खाता संख्या 103/92 की कुल 7.084 है0, चक 11 एएमएस के खाता संख्या 106/79 की कुल 3.036 है0 खातेदारी भूमि में प्रार्थी का हक व हिस्सा है। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम फुलाराम का सही नाम फुलाराम के स्थान पर हरफुल दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम फुलाराम की बजाये हरफुल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक एवं सही नाम फुलाराम है, जो प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशनकार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम फुलाराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत निनाण के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम फुलाराम की बजाये हरफुल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने पिता का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपने पिता का नाम हरफुल के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक फुलाराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:50 IST
Reason: SelfAttested.

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता नाम फुलाराम के स्थान पर हरफुल दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से ऑनलाइन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी के पिता का नाम हरफुल दर्ज रहने

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के पिता का नाम फुलाराम दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी लालचन्द पुत्र हरफुल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये जो ड्राईविंग लाईसैन्स प्रदर्श 1ए, आधार कार्ड प्रदर्श 2ए, पहचान पत्र प्रदर्श 3ए, जमाबन्दी चक 8 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2073–76 प्रदर्श 4ए, जमाबन्दी चक 10 एएमएस सम्वत 2074–77 प्रदर्श 5ए, जमाबन्दी चक 11 एएमस सम्वत 2074–77 प्रदर्श 6ए, राशन कार्ड प्रदर्श 7ए, सरपंच ग्राम पंचायत निनाण द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 8ए प्रदर्शित करवाये तथा साक्ष्य प्रार्थी में लखनलाल पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी निनाण के भी साक्ष्य करवाये गये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 197/191 की कुल 2.075 हैक्टेयर, खाता संख्या 210/206 की कुल 3.795 है0, चक 10 एएमएस के खाता संख्या 74/74 की कुल 0.560 है0, खाता संख्या 75/70 की कुल 7.337 है0, खाता संख्या 103/92 की कुल 7.084 है0, चक 11 एएमएस के खाता संख्या 106/79 की कुल 3.036 है0 कृषि भूमि में प्रार्थी लालचन्द अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी के पिता का नाम फुलाराम दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता का सही नाम फुलाराम के स्थान पर हरफुल दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश कर आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसैन्स व राशनकार्ड पेश किये है। इस प्रकार वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमारे द्वारा, जमाबन्दी व पत्रावली का अवलोकन कर पाया गया कि लालचन्द के साथ सहखातेदारों में उनके सगे भाईयों का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिन्हें पत्रावली में प्रार्थी/अप्रार्थी के रूप में दर्ज नही किया गया है और ना ही उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त नाम में संशोधन बाबत कोई अनापति पत्रावली में जाहिर की गई है। उक्त नाम में संशोधन करने पर प्रार्थी के सगे भाईयों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य नही होने कारण खारिज किया जाता है। खर्चा [illegible] करें।

निर्णय आज दिनांक .... को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:50 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ